भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †4653
21अगस्त, 2025 को उत्तर देने के लिए

एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना योजना

†4653. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
श्री पी.पी. चौधरी:
डॉ. के. सुधाकर:
श्री बिभु प्रसाद तराई:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना योजना के उद्देश्य एवं प्रमुख घटक क्या हैं;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा सहित स्वीकृत परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ग) देश के प्रत्येक राज्य में अनुदान सहायता के लिए पात्र लाभार्थियों की श्रेणियां क्या हैं और इसके अंतर्गत इकाइयों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता की राशि कितनी है;
(घ) राजस्थान सहित देश में निर्मित परिरक्षण एवं प्रसंस्करण क्षमता का ब्यौरा क्या है तथा उक्त राज्यों में उक्त योजना के अंतर्गत स्थापित सुविधाओं के प्रकार क्या हैं;
(ङ) उक्त योजना ने उपरोक्त राज्यों सहित देशभर में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में फसल कटाई के बाद होने वाली हानियों को कम करने और रोजगार सृजन में किस प्रकार योगदान दिया है; और
(च) उक्त राज्यों में शीत श्रृंखला इकाइयों के जिला-वार आंकड़ों, यदि उपलब्ध हों, सहित उक्त योजना का विशिष्ट प्रभाव क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना (शीत श्रृंखला योजना) के दिनांक 22-05-2025 के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार यह गैर-बागवानी उत्पादों, डेयरी, मांस, मुर्गी पालन, समुद्री/मछली (झींगा को छोड़कर) के फसलोपरांत होने वाले नुकसान को कम करने के लिए खेत से लेकर उपभोक्ता तक बिना किसी रुकावट के एकीकृत शीत श्रृंखला, परिरक्षण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना सुविधाएँ प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत स्थापित शीत श्रृंखला परियोजनाएँ उत्पादकों को खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं और बाज़ार से एक सुसज्जित आपूर्ति श्रृंखला और शीत श्रृंखला के माध्यम से जोड़ती हैं, जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य और उपभोक्ताओं को साल भर खाद्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।
कोल्ड चेन योजना के प्रमुख घटक हैं:

(i) फार्म स्तरीय बुनियादी ढांचा (एफएलआई)
(ii) प्रसंस्करण केंद्र (अनिवार्य घटक)
(iii) वितरण केंद्र (डीएच)
(iv) रेफ्रिजरेटेड वैन/ रेफ्रिजरेटेड ट्रक/ इंसुलेटेड वैन/ मोबाइल इंसुलेटेड टैंकर

(ख): पिछले तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान आंध्र प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा राज्यों सहित देश भर में कोल्ड चेन योजना के तहत अनुमोदित कोल्ड चेन परियोजनाओं की राज्यवार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई

है।

(ग): कोई भी व्यक्ति/केन्द्रीय एवं राज्य पीएसयू/संयुक्त उद्यम/एनजीओ/सहकारी समिति/स्वयं सहायता समूह/किसान उत्पादक संगठन/किसान उत्पादक कंपनी/सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियां/सीमित देयता साझेदारी/साझेदारी फर्म और स्वामित्व फर्म कोल्ड चेन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र संस्थाएं हैं।

चूँकि कोल्ड चेन योजना माँग आधारित है और पूरे देश में क्रियान्वित की जा रही है, राज्यवार धनराशि का आवंटन नहीं किया जाता है। देश भर से कोल्ड चेन परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति जारी की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, एकीकृत शीत श्रृंखला परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रति परियोजना अधिकतम 10.00 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता/सब्सिडी के अधीन सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से तथा दुर्गम क्षेत्रों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, एफपीओ तथा स्वयं सहायता समूहों से प्राप्त प्रस्तावों के मामले में 50% की दर से अनुदान सहायता/सब्सिडी प्रदान की जाती है ।

(घ) से (ङ): कोल्ड चेन योजना के अंतर्गत**,** योजना की शुरुआत से यानी 2008-09 से 2025-26 (30.06.2025 तक) तक 291 एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाएं पूरी और चालू हो चुकी हैं**,** जिससे 25.52 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष परिरक्षण क्षमता और 114.66 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष प्रसंस्करण क्षमता का सृजन हुआ है**,** जिससे देश में कटाई के बाद के नुकसान में कमी आई है और 1**,**74**,**600 रोजगार सृजित हुए हैं। कोल्ड चेन योजना की शुरुआत से यानी 2008-09 से 2025-26 (30.06.2025 तक) देश भर में पूरी हो चुकी और चालू एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं से सृजित परिरक्षण और प्रसंस्करण क्षमता और सृजित रोजगार का राज्यवार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(च): आंध्र प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा राज्यों में कोल्ड चेन योजना की शुरुआत यानी 2008-09 से 2025-26 (30.06.2025 तक) तक पूर्ण और चालू एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं का जिलावार वितरण और निर्मित परिरक्षण और प्रसंस्करण क्षमता और सृजित रोजगार पर उनका प्रभाव **अनुबंध-III** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 21.08.2025 को उत्तर हेतु "एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4653 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I

पिछले तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान देश भर में शीत श्रृंखला योजना के अंतर्गत स्वीकृत शीत श्रृंखला परियोजनाओं की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत शीत श्रृंखला परियोजनाओं की संख्या
1	**आंध्र प्रदेश**	**6**
2	अरुणाचल प्रदेश	1
3	गुजरात	4
4	हरियाणा	5
5	कर्नाटक	1
6	केरल	4
7	मध्य प्रदेश	1
8	महाराष्ट्र	14
9	**ओडिशा**	**4**
10	पंजाब	3
11	**राजस्थान**	**1**
12	तमिलनाडु	7
13	तेलंगाना	5
14	त्रिपुरा	0
15	उत्तर प्रदेश	6
16	उत्तराखंड	1
17	पश्चिम बंगाल	3
	कुल	**66**

अनुबंध- II

दिनांक 21.08.2025 को उत्तर हेतु "एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4653 के भाग (घ)से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध- II

शीत श्रृंखला योजना की शुरुआत से अर्थात 2008-09 से 2025-26 तक (30.06.2025 तक) देश भर में पूर्ण एवं चालू एकीकृत शीत श्रृंखला परियोजनाओं से निर्मित परिरक्षण एवं प्रसंस्करण क्षमता तथा सृजित रोजगार का राज्यवार विवरण।

क्रमांक	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	पूर्ण और चालू परियोजनाओं की संख्या	सृजित रोजगार की संख्या	निर्मित क्षमता एलएमटी/वर्ष	
				परिरक्षण क्षमता	प्रसंस्करण क्षमता
1.	**आंध्र प्रदेश**	**22**	13200	**1.32**	**2.67**
2.	असम	2	1200	0.24	0.04
3.	बिहार	3	1800	1.10	5.89
4.	छत्तीसगढ	2	1200	0.26	0.00
5.	गोवा	0	0	0.00	0.00
6.	गुजरात	21	12600	1.13	11.03
7.	हरियाणा	16	9600	1.51	4.08
8.	हिमाचल प्रदेश	13	7800	0.95	0.40
9.	जम्मू और कश्मीर	5	3000	0.16	0.34
10.	झारखंड	0	0	0	0
11.	कर्नाटक	14	8400	0.86	6.90
12.	केरल	4	2400	0.52	0.70
13.	मध्य प्रदेश	8	4800	0.57	2.21
14.	महाराष्ट्र	57	34200	5.21	45.92
15.	**उड़ीसा**	**4**	2400	**0.23**	**0.30**
16.	पंजाब	21	12600	1.70	5.71
17.	**राजस्थान**	**13**	7800	**1.31**	**3.24**
18.	तमिलनाडु	13	7800	0.97	4.59
19.	तेलंगाना	10	6000	0.56	6.40
20.	उत्तर प्रदेश	18	10800	1.63	7.57
21.	उत्तराखंड	27	16200	3.03	4.00
22.	पश्चिम बंगाल	12	7200	2.07	1.65
23.	अरुणाचल प्रदेश	1	600	0.03	0.11
24.	मणिपुर	1	600	0.09	0.00
25.	मेघालय	0	0	0	0
26.	मिजोरम	2	1200	0.02	0.32
27.	नागालैंड	1	600	0.03	0.32
28.	त्रिपुरा	0	0	0	0
29.	सिक्किम	0	0	0	0
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	600	0.02	0.27
31.	चंडीगढ़	0	0	0	0
32.	दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0
36.	लद्दाख	0	0	0	0
	कुल	**291**	**174600**	**25.52**	**114.66**

अनुबंध- III

दिनांक 21.08.2025 को उत्तर हेतु "एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4653 के भाग (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध- III

आंध्र प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा राज्यों में कोल्ड चेन योजना की शुरुआत से यानी 2008-09 से 2024-25 तक पूर्ण और चालू एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं का जिलावार वितरण और सृजित परिरक्षण एवं प्रसंस्करण क्षमता तथा सृजित रोजगार पर उनका प्रभाव

क्र.सं.	राज्य/जिला	पूर्ण और चालू परियोजनाओं की संख्या	निर्मित क्षमता एलएमटी/वर्ष		सृजित रोजगार संख्या
			प्रसंस्करण क्षमता	परिरक्षण क्षमता	
क	**आंध्र प्रदेश**				
1	अनंतपुर	1	0.00	0.19	600
2	चित्तूर	2	0.00	1.00	1200
3	पूर्वी गोदावरी	5	0.37	0.52	3000
4	गुंडूर	1	0.06	0.11	600
5	कृष्णा	4	0.21	0.24	2400
6	नेल्लोर	2	0.09	0.18	1200
7	प्रकाशम	1	0.30	0.00	600
8	विशाखापत्तनम	1	0.08	0.19	600
9	पश्चिम गोदावरी	5	0.21	0.24	3000
	कुल	**22**	**1.32**	**2.67**	**13200**
ख	**राजस्थान**				
1	अलवर	1	0.01	0.00	600
2	कोटा	2	0.49	0.76	1200
3	जयपुर	4	0.00	1.09	2400
4	बीकानेर	3	0.46	0.73	1800
5	बूंदी	1	0.11	0.27	600
6	धौलपुर	1	0.24	0.02	600
7	हनुमानगढ़	1	0.00	0.38	600
	कुल	**13**	**1.31**	**3.24**	**7800**
ग	**ओडिशा**				
1	कटक	1	0.00	0.01	600
2	बालासोर	2	0.12	0.24	1200
3	खुर्दा	1	0.11	0.05	600
	कुल	**4**	**0.23**	**0.30**	**2400**